

TDS on Property (194-IA) Guide

Real Estate

दस्तावेज़ प्रकार : लाइसेंस / वैधानिक फाइलिंग - तैयार किया गया 15 Oct 2026

यह गाइड बताती है कि यह टूल क्या बनाता है, उसका उपयोग कैसे करें, और किन बातों का ध्यान रखें। टूल का वास्तविक आउटपुट (ड्राफ्ट/रिपोर्ट) टूल पेज पर बनता है।

पृष्ठभूमि

संपत्ति-खरीद पर क्रेता को धारा 194-IA के तहत 1% टीडीएस (TDS) काटना होता है।

इस टूल और आउटपुट का उद्देश्य

यह टूल संपत्ति पर टीडीएस (194-IA) में मार्गदर्शन देता है।

आउटपुट का उपयोग कैसे करें

संपत्ति-खरीद पर 1% टीडीएस सही काटने और दाखिल करने हेतु उपयोग करें।

यह किसे दिया जाता है

आयकर विभाग ; क्रेता काटकर जमा करता है, विक्रेता को क्रेडिट मिलता है।

कैसे जमा करें / दाखिल करें

सीमा से ऊपर की संपत्ति पर 1% काटें, फॉर्म 26QB से देय-दिनों में जमा करें, और विक्रेता को फॉर्म 16B दें।

शुल्क और खर्च

कोई शुल्क नहीं ; विलंब पर ब्याज और लेट-फीस।

इसकी जाँच किससे कराएँ

सीए (CA) — प्रयोज्यता, सीमा और एनआरआई-विक्रेता अंतर पुष्टि करें।

महत्वपूर्ण सावधानियाँ

एनआरआई-विक्रेता पर टीडीएस-दर भिन्न और अधिक ; सावधानी रखें।

साथ के दस्तावेज़

- Property Capital Gains Exemption Guide
- Rental Income Tax Optimizer
- Joint Development Tax Guide
- NRI Property Sale Tax Guide

यह एआई-सहायित मार्गदर्शन है। किसी भी बाध्यकारी निर्णय से पहले योग्य पेशेवर से पुष्टि करें। शुल्क, प्राधिकरण और प्रक्रियाएँ राज्य और समय के अनुसार बदलती हैं — अपने राज्य के प्राधिकरण से सत्यापित करें।